कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8317/ 4297 दिनांकः 14-3-18

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषयः Diversion of 0.05 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Rori Water Services Division, Sirsa for construction of Rattakhera Kharif Channel RD 0 to 116000/Tail off taking at RD 39000/R of River Ghaggar and Branch RD 0 to 29200 off taking at RD 20000/R of Main Branch crossing various strips of protected forest land, under forest division and District Sirsa, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/IRRIG/29224/2017
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 22–2–2018 ।

—

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.05 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website http://forestsclearance.nic.in के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक में राशि जमा करवाने के लिए चालान जनरेट करके अपेक्षित कार्यवाही करवाएगी ।

(iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डल अधिकारी, सिरसा ।
2. Executive Engineer, Rori Water Services Division, Sirsa.